

5

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व खेमाली
भू अभिलेख निरीक्षक खेमाली की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार
तहसीलदार करेड़ा की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खेमाली पटवार हल्का खेमाली तहसील करेड़ा
व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी सम्वत् 2073-2076 में खाता संख्या
में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद
के आदेश दिये जाते हैं:-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
35	खेमाली	कठ सं. 1 से 46	कठ सं. 1 से 46 में जारी करोगा	कठ सं. 1 से 46 में जारी रावणा राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
न्यायालय अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

दिनांक :- 27/10/24

क्रमांक/न्यायालय/2024/35
प्रतिलिपि:-

- 1- तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
- 2- प्रार्थी श्री

उपखण्ड अधिकारी
न्यायालय अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

